न्यायालय–अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पाक्सो), जनपद–संत कबीर नगर।

जमानत प्रार्थना पत्र सं0–1001/2026

UPSK010024802026

1. रामचन्द्र अग्रहरी पुत्र स्व0 ज्वाला प्रसाद, साकिन–फुलवरिया, थाना–बेलहरकला, जनपद–सन्त कबीर नगर। .....अभियुक्त

बनाम

1. सरकार उत्तर प्रदेश। .....विपक्षी

अपराध संख्या–0162/2025
धारा–296, 75, 115(2), 117(2), 351(3), 352 BNS व 7/8 पाक्सो एक्ट एवं धारा–3(1)(द), 3(1)(ध), 3(2)(va), 3(1)(w) SC/ST Act
थाना–बेलहरकलां, जिला–सन्तकबीर नगर।

निस्तारण जमानत प्रार्थना–पत्रः

प्रार्थी/अभियुक्त **रामचन्द्र अग्रहरी** द्वारा उपरोक्त मामले में यह **द्वितीय** जमानत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा समर्थन में प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक के अनुसार दिनांक–09.06.2025 को शाम करीब 6 बजे मुल्जिमान रामचन्द्र अग्रहरी पुत्र ज्वाला अग्रहरी, रामरक्षा पुत्र अज्ञात ग्राम फुलवरिया थाना बेलहरकला, संत कबीर नगर वादी मुकदमा सुरेन्द्र पासवान की बहन कुसुम उम्र लगभग 15 वर्ष जो रोज हसनी चौराहे के पास सिलाई सीखने जाती थी, उसी बीच रामचन्द्र वादी मुकदमा की बहन को रास्ते में परेशान करता तथा अश्लील गाना सुनाता था और हाथ पकड़कर अश्लील वीडियोग दिखाने के लिए प्रेरित करता था। इस बात को वादी द्वारा पूछने पर उक्त दोनों लोगों ने वादी को लात,मुका, लाठी डण्डा से मारा पीटा तथा धारदार हथियार से वार किया जिससे वादी का सर फट गया तथा गम्भीर चोटे आयी तथा हाथ की हड्डी टूट गयी। अभियुक्तगण गाली गुप्ता व जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गये। वादी मुकदमा के उक्त तहरीर के आधार पर मामले में अभियुक्तगण रामचन्द्र अग्रहरी व रामरक्षा के विरूद्ध धारा–296, 75, 115(2), 117(2), 351(3), 352 BNS व 7/8 पाक्सो एक्ट एवं धारा–3(1)(द), 3(1)(ध), 3(2)(va), 3(1)(w) SC/ST Act के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया। विवेचनोपरान्त विवेचक द्वारा संकलित साक्ष्य के आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त रामचन्द्र अग्रहरि के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं में आरोप पत्र प्रेषित किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा कथन किया गया है कि प्रार्थी गरीब परिवार का है तथा घ्ज्ञर का तनहा व्यक्ति है। उसने कोई जुर्म नहीं किया है। मात्र रंजिश के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में फंसा कर अभियुक्त बना दिया गया है। वादी मुकदमा द्वारा झूठा आरोप लगाया गया है। प्रार्थी के द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र दिनांक 23.04.2026 को योजित किया गया था और साथ में ही अन्तरिम जमानत प्रार्थना पत्र भी योजित किया गया था,जिसमें माननीय न्यायालय के द्वारा प्रार्थी को अन्तरिम जमानत प्रदान किया गया था। कई बार अन्तरिम जमानत मिलने के बाद रेगुलर जमानत की सुनवाई दिनांक–04.06.2026 को जमानत पर बल न देने के कारण निरस्त किया गया। वास्तविकता यह है कि प्रार्थी की तबियत खराब होने के कारण नहीं आ पाये। ऐसी गलत जानबूझकर नहीं किया गया है। वादी के द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाये गये प्रार्थी के विरूद्ध सारे

अपराध निराधार व असत्य है। प्रार्थी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, न ही किसी मुकदमें में किसी न्यायालय के द्वारा कोई सजा ही हुआ है। उक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त ने जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की है।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान लोक अभियोजक (फौजदारी) को सुना तथा पत्रावली का सम्यक् परिशीलन किया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्त पर वादी मुकदमा की बहन के साथ छेड़छाड़ करने, अभद्र गाना गाने तथा वादी को गाली–गुप्ता व जान से मारने की धमकी देने तथा मारपीटकर गंभीर चोट पहुॅचाये जाने व जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करने का आरोप है, जिससे अभियुक्त ने इन्कार करते हुए कथन किया कि वादी ने रंजिशन उसके वियद्ध झूठा मुकदमा लिखाया गया है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्त पूर्व में प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र व अन्तरिम जमानत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया था और पूर्व में अन्तरिम जमानत पर था परन्तु दिनांक–04.06.2026 को नियमित जमानत प्रार्थना–पत्र पर सुनवाई के समय उपस्थित न आने के कारण, प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त कर दिया गया। अभियोजन की ओर से अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास पेश नहीं किया गया है। मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित **सत्येन्द्र कुमार अन्टिल बनाम सेन्ट्रल ब्यूरो आफ इनवेस्टीगेशन व अन्य (2021) 10 एस0सी0सी0 773** में दी गयी विधि–व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए गुण–दोष पर बिना कोई मत व्यक्त किये अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त है।

आदेश

अभियुक्त **रामचन्द्र अग्रहरि** द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त द्वारा **मु0 पच्चीस हजार रूपये** के **व्यक्तिगत बंध–पत्र** एवं समान धनराशि की **दो प्रतिभू** दाखिल करने पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाता है :–

1. यह कि अभियुक्त अभियोजन साक्ष्य एवं साक्षियों को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करेगा।
2. यह कि अभियुक्त न्यायालय में नियमित रूप से उपस्थित होगा।
3. यह कि अभियुक्त विचारण में सहयोग करेगा।

दिनॉक–08.07.2026

(कृष्ण कुमार–V)
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश(पाक्सो एक्ट),
संत कबीर नगर।

Digitally signed by KRISHNA KUMAR
Date: 2026.07.08 16:14:57 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court